न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: रिछपाल सिंह बुरड़क, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

1. श्री हीराराम पुत्र हरनाथजी, जाति-कलबी, निवासी- वासन, तहसील- रेवदर
2. श्रीमती गवरी पुत्री हरनाथजी, जाति-कलबी, निवासी-वासन, तहसील-रेवदर
3. श्रीमती वगतु पुत्री हरनाथजी, जाति-कलबी, निवासी- वासन, तहसील-रेवदर

अप्रार्थी **बनाम**

1. श्री मफतलाल पुत्र पूनमाजी, जाति-मेघवाल, निवासी-वासन, तह.रेवदर,जिला-सिरोही
2. ग्राम पंचायत, वासन जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, वासन, तहसील- रेवदर
3. पंचायत समिति, रेवदर जरिये विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर

पंचायत निगरानी संख्या: 113/2017

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री अशोक पुरोहित, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री कलीम अव्वल, अप्रार्थी मफतलाल की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 28 फरवरी, 2020**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, बासन द्वारा अप्रार्थी मफतलाल पुत्र पूनमाजी, जाति-मेघवाल, निवासी- बासन के पक्ष में क्षेत्रफल 800 वर्गफीट नि:शुल्क भूखण्ड आवंटन का जारी पट्टा संख्या 5 (पट्टा जारी करने की दिनांक अंकित नही है) को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये एवं ग्राम पंचायत, बासन से प्रश्नगत पट्टे से संबंधित मूल रेकर्ड तलब किया गया। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या- 1 (मफतलाल) की ओर से अधिवक्ता श्री कलीम अव्वल उपस्थित हुये। जबकि अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान उपस्थित नही हुये एवं न ही अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत हुआ।

(3) बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री पुरोहित ने निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम बासन में प्रार्थीगण के स्वामित्व व कब्जे अधिकार की आवासीय सम्पति कोचरिया जाने वाले आम रास्ते पर आई हुई स्थित है। प्रार्थीगण के पुश्तैनी आवासीय सम्पति के संबंध में ग्राम पंचायत, बासन द्वारा प्रार्थीगण के पिता स्वर्गीय हरनाथ पुत्र पन्नाजी, जाति- कलबी, निवासी- बासन के पक्ष में पट्टा संख्या 63 दिनांक

....पेज दो पर

13.5.1977 को जारी किया गया था। प्रार्थीगण के पुश्तैनी आवासीय सम्पति के विक्रय विलेख का नापजोख व चतुर्दशी अनुसार उत्तर में सेरिया आम रास्ता अरठ चेला वाला की तरफ का (कोचरिया की तरफ जाने रास्ता), दक्षिण में प्रार्थीगण के स्वयं की भूमि वर्तमान में बाबु उका मेघवाल, पूर्व में आम रास्ता गांओं का जीरावल जाने आने वाला व पश्चिम में अरठ कलवीयों का जाव स्थित है एवं नाप उत्तर-दक्षिण 21 फीट एवं पूर्व-पश्चिम 32 फीट कुल क्षेत्रफल 672 वर्गफीट है। उक्त वर्णित चतुर्दशी व नापजोख को दर्शित करता हुआ मौके का नजरी नक्शा निगरानी आवेदन के साथ संलग्न पेश किया है। प्रार्थीगण के पिता हरनाथजी का स्वर्गवास आज से करीब 20-22 वर्ष पूर्व हो चुका है व प्रार्थीगण वकन श्री हरनाथजी के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसा। है। यह कि ग्राम पंचायत, बासन द्वारा प्रार्थीगण के पुश्तैनी पट्टेशुदा आवासीय भूमि पर अप्रार्थी मफतलाल पुत्र पुनमाजी जाति- मेघवाल, निवासी- बासन के नाम से पट्टा जारी कर दिया है जिसके पट्टा संख्या 5 व पट्टा जारी करने की तारीख अंकित नही है, अप्रार्थी मफतलाल को जारी पट्टा संख्या 5 में दर्ज चतुर्दशी उत्तर में कोचरिया का आम रास्ता, दक्षिण में बाबू पुत्र उका मेघवाल का भूखण्ड, पूर्व में आम रास्ता व दरवाजा एवं पश्चिम में कलवीयों वाला अरठ का जाव है तथा नाप उत्तर-दक्षिण 20 फीट व पूर्व-पश्चिम 40 फीट कुल 800 वर्गफीट है। ग्राम पंचायत, बासन को प्रार्थीगण के पुश्तैनी पट्टेशुदा भूमि का अप्रार्थी मफतलाल को पुन: पट्टा जारी करने का कोई कानूनन हक अधिकार नही है। अप्रार्थी मफतलाल के पक्ष में जारी पट्टा कुटरचित दस्तावेज है, जो अप्रार्थी मफतलाल ने ग्राम पंचायत, बासन से सांठ-गांठ कर जारी करवाया है। प्रश्नगत पट्टे की आड में अप्रार्थी मफतलाल प्रार्थीगण के पुश्तैनी पट्टेशुदा भूमि पर अतिक्रमण करना चाहता है। यह कि प्रश्नगत पट्टा संख्या 5 पर ग्रामसेवक पदेन सचिव के हस्ताक्षर भी नही है। अप्रार्थी मफतलाल नि:शुल्क भूखण्ड आवंटन की पात्रता नही रखता था एवं भूमि मौके पर आज भी खुली है। अप्रार्थी मफतलाल द्वारा पट्टे में अंकित शर्त संख्या-8 का उल्लंघन किया गया है। अत: प्रार्थीगण का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत पट्टा संख्या-5 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी मफतलाल के विद्वान अधिवक्ता श्री अव्वल ने अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रश्नगत भूमि का ग्राम पंचायत, बासन द्वारा प्रार्थीगण के पिता को पट्टा संख्या 63 दिनांक 13.5.1977 को जारी करने का कथन गलत है। निगरानी आवेदन में वर्णित भूमि अप्रार्थी मफतलाल के पट्टे स्वामित्व है तथा मौके पर अप्रार्थी मफतलाल काबिज है। विवादित भूखण्ड पर प्रार्थीगण का कभी भी कब्जा नही रहा है एवं न ही मौके पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा है। यह कि ग्राम पंचायत, बासन द्वारा अप्रार्थी मफतलाल के पक्ष में विधिवत नि:शुल्क भूखण्ड का आवंटन का प्रस्ताव पारित कर नि:शुल्क भूखण्ड आवंटन का पट्टा जारी किया है, केवल पट्टे पर पट्टा जारी करने की तारीख अंकित नही होने के कारण पट्टे को फर्जी या कुटरचित नही माना जा सकता है, हो सकता है ग्राम पंचायत, बासन द्वारा पट्टा जारी करने की दिनांक पट्टे में सहवन से अंकित करना रह गई हो। पट्टा संख्या 5 की भूमि के मौके पर अप्रार्थी मफतलाल का कदीमी कब्जा बतौर मालिक चला आ रहा है एवं

....पेज तीन पर

बतौर मालिक अप्रार्थी मफतलाल ने उक्त भूमि पर निर्माण भी करवाया था, तब प्रार्थी हीराराम ने उक्त भूमि प्रार्थीगण के आवासीय व पुश्तैनी पट्टे स्वामित्व की सम्पत्ति होना बताकर अप्रार्थी मफतलाल व अन्य के विरुद्ध सिविल न्यायालय, रेवदर में वाद संख्या 11/2008 वास्ते आज्ञापक व्यादेश एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था जिस वाद में बाद साक्ष्य व सुनवाई सिविल न्यायालय, रेवदर ने दिनांक 30.12.2017 को वाद खारिज कर अप्रार्थी मफतलाल के पक्ष में निर्णय व डिक्री दिनांक 30.12.2017 को पारित की गई है। माननीय सिविल न्यायालय, रेवदर ने उक्त पट्टा संख्या- 5 की भूमि प्रार्थीगण के पुश्तैनी पट्टे स्वामित्व की नही मानकर अप्रार्थी मफतलाल के पट्टे स्वामित्व की होना माना है जिस पर अप्रार्थी मफतलाल का ही कब्जा बतौर मालिक चला आ रहा है। माननीय सिविल न्यायालय, रेवदर द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 30.12.2017 के विरुद्ध प्रार्थी हीराराम ने कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत पट्टे से संबंधित भूमि अप्रार्थी मफतलाल की पट्टे स्वामित्व व मालकी है। प्रश्नगत पट्टे की भूमि मौके पर खुली भूमि होना व पट्टे में अंकित शर्त संख्या-8 का उल्लंघन होने का कथन गलत है, बल्कि हकीकत यह है कि प्रश्नगत पट्टे की भूमि पर अप्रार्थी मफतलाल ही काबिज होकर आवासीय उपयोग कर रहा है। अप्रार्थी मफतलाल ने किसी शर्त का कोई उल्लंघन नहीं किया है। प्रार्थीगण के पट्टा संख्या 63 दिनांक 13.5.1977 व प्रश्नगत पट्टा संख्या 5 की भूमि अलग अलग है। दोनों पट्टो में दर्ज चतुर्दशी व नाप का आपस में मिलान नहीं होता है। अप्रार्थी मफतलाल के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि प्रार्थी हीराराम ने वर्ष 2008 में उक्त सिविल वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया था, तो उस समय प्रार्थी हीराराम को अप्रार्थी मफतलाल के पट्टा संख्या 5 के संबंध में जानकारी हो चुकी थी उसके बावजूद भी प्रार्थीगण ने यह निगरानी आवेदन अप्रार्थी मफतलाल को हैरान परेशान करने की नियत से प्रश्नगत पट्टे के संबंध में जानकारी होने के करीब 9 वर्ष बाद इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है, जो मियाद बाहर होने से कानून परिपोषणीय नहीं है। अत: प्रार्थीगण का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा ग्राम पंचायत, बासन के रेकर्ड का अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, बासन द्वारा ग्राम पंचायत, बासन की बैठक दिनांक 30.10.1986 में प्रस्ताव संख्या- 2 पारित कर कुल 32 व्यक्तियों को नि:शुल्क भूखण्ड आवंटन करने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें क्रम संख्या 32 पर अप्रार्थी मफतलाल पुत्र पूनमा मेघवाल, निवासी- बासन का नाम भी अंकित है। ग्राम पंचायत, बासन द्वारा पारित उक्त प्रस्ताव संख्या- 2 दिनांक 30.10.1986 की अनुपालना में ग्राम पंचायत, बासन द्वारा अप्रार्थी मफतलाल पुत्र पूनमाजी मेघवाल, निवासी- बासन के पक्ष में क्षेत्रफल 800 वर्गफीट नि:शुल्क भूखण्ड आवंटन का पट्टा संख्या 5 जारी किया गया है।

इस संबंध में प्रार्थीगण का मुख्यत: कथन यह है कि "ग्राम पंचायत, बासन द्वारा अप्रार्थी मफतलाल को जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है, वह भूमि प्रार्थीगण के पुश्तैनी पट्टे स्वामित्व की है, जिसका ग्राम पंचायत, बासन द्वारा प्रार्थीगण के पिता श्री हरनाथ पुत्र पन्ना जी कलबी, निवासी- बासन के पक्ष में पट्टा संख्या 63 दिनांक

....पेज चार पर

13.5.1977 को जारी किया हुआ है।'' जबकि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह पाया गया कि प्रार्थी हीराराम पुत्र श्री हरनाथ, जाति कलबी, निवासी- वासन द्वारा अप्रार्थी मफतलाल पुत्र पूनमाजी, जाति- मेघवाल, निवासी- वासन व अन्य के विरुद्ध प्रश्नगत पट्टे की भूमि को स्वयं के पुश्तैनी पट्टे स्वामित्व की होना बताते हुए एक वाद वास्ते व्यापक व्यादेश एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु माननीय सिविल न्यायालय, रेवदर में प्रस्तुत किया था। माननीय सिविल न्यायालय, रेवदर द्वारा उक्त सिविल मूल प्रकरण संख्या 11/2008 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.12.2017 के अनुसार वादी हीराराम पुत्र हरनाथ जी, जाति- कलबी, निवासी- वासन का वाद अस्वीकार कर खारिज किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि माननीय सिविल न्यायालय, रेवदर द्वारा प्रश्नगत भूमि को प्रार्थी हीराराम के पट्टे स्वामित्व एवं कब्जे की होना नही माना है।

यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थीगण को प्रश्नगत पट्टा संख्या- 5 के संबंध में जानकारी उक्त सिविल वाद में हो चुकी थी, उसके बावजूद भी प्रार्थीगण ने यह निगरानी आवेदन इस न्यायालय में उक्त सिविल वाद में निर्णय होने के बाद प्रस्तुत किया है, जो विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है एवं इस विलम्ब की अवधि के संबंध में प्रार्थीगण ने निगरानी आवेदन में कोई ठोस व समुचित कारण नही दर्शाया है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त सभी तथ्यों के विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण का यह निगरानी आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

अत: प्रार्थीगण का निगरानी आवेदन खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Richpal Singh Burdak
Date: 2020.03.05 18:15:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: